नम्बर व अहकाम ... की तामील में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–13.09.2019

मिशल संख्याः– 348/2018

उनवानी प्रार्थना पत्र :

लादी पुत्री श्री नानू पत्नि स्व0 रंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम धुवांकलां, हाल निवासी आमली (देवल्या) तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।

–प्रार्थी –

बनाम

1. भागचन्द पुत्र स्व0 प्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम धुवांकला तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
2. अभिषेक पुत्र स्व0 प्रकाश जाति मीणा जरिए संरक्षक माता मोहनी पत्नि स्व0 प्रकाश निवासी ग्राम धुवांकला तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
3. श्वेता पुत्री स्व0 प्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम धुवांकला तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
4. टीना पुत्री स्व0 प्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम धुवांकला तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
5. मोना पुत्री स्व0 प्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम धुवांकला तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
6. मोहनी पत्नि स्व0 प्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम धुवांकला तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
7. लादू पुत्र श्री नानू जाति मीणा निवासी ग्राम धुवांकलां, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
8. शांति पुत्री श्री नानू जाति मीणा निवासी ग्राम धुवांकलां, हाल निवासी आमली (देवल्या) तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
9. बादाम पुत्री श्री नानू जाति मीणा निवासी ग्राम धुवांकलां, हाल धुवांखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
10. शाखा प्रबंधक, बी.आर.जी.डी. शाखा धुवांकलां, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
11. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
12. उप पंजीयक दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।

–अप्रार्थीगण–

–उपस्थिति –

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 के पिता 6 के पति व 7 ता 9 आपस में सगे भाई–बहिन है और एक ही पिता के संताने है और प्रार्थिया व अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 9 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके ग्राम धुवांकलां पटवार हल्का धुवांकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है जिसके हाल खाता संख्या 585 खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.10 है0 व खसरा नम्बर 2074 रकबा 1.05 है0, खसरा नम्बर 2075 रकबा 2.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.36 है0 भूमि है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/5 है व अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 का 1/5 हिस्सा है व अप्रार्थीगण नं. 7 ता 9 का 1/5 हिस्सा है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण नं. 8 व 9 आज से 30–35 वर्ष पूर्व से ही अपने ससुराल में निवास करती है और प्रार्थीया व अप्रार्थी नं0 8 व 9 ने अपने हिस्से की आराजीयात के अपने दोनो सगे भाई अप्रार्थी नं. 7 व अप्रार्थी नं. 1 ता 6 के पिता, पति को बराबर हिस्सों में बांटकर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर रखा हैं। खाता सं. 585 ग्राम धवाकलॉ, पटवार हल्का धुवांकला में स्थित आराजीयात कुल किता 3 कुल रकबा 3.36 है0 भूमि में आज की तारीख में हिस्सा 1/2 में अप्रार्थी नं. 7 का कब्जा काश्त है और हिस्सा 1/2 में पूर्व मे स्व0 प्रकाश पुत्र नानू व इनकी मृत्यु के पश्चात् इनके वारिसान अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 का कब्जा है। प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 8 व 9 ने पूर्व में ही अप्रार्थी नं0 8 का हिस्सा स्व. प्रकाश के हक में व अप्रार्थी नं. 9 का हिस्सा 7 के हक में व प्रार्थीया का हिस्सा अप्रार्थी नं. 1 ता 6 के पिता, पति स्व. प्रकाश के हक में हिस्सा 1/2 व अप्रार्थी नं. 7 के हक में हिस्सा 1/2 हक त्याग करना था और इसी अनुरूप प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 8 व 9 के हिस्से की संयुक्त भूमि में से हिस्सा 1/2 पर अप्रार्थी नं. 7 का कब्जाकाश्त है और 1/2 भूमि पर अप्रार्थी नं0 1 ता 6 का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण नं0 1 ता 6 के पिता, पति स्व. प्रकाश ने स्वयं के हिस्से की भूमि व अप्रार्थी नं. 8 के हिस्से की भूमि को अप्रार्थीगण नं. 10 के यहां पर रहन रखकर अप्रार्थी नं. 1 ता 6 के पिता, स्व. प्रकाश ने ऋण प्राप्त कर रखा है। दिनांक 28.05.2018 को प्रार्थीया अप्रार्थी नं. 12 के यहां प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित आराजीयात में से अपने हिस्सा 1/5 में से हिस्सा 1/2 का हक त्याग अप्रार्थी नं. 1 के हक में करवाने के लिये उपस्थित हुई थी लेकिन अप्रार्थी नं. 1 के मन में बेईमानी आ पाने के कारण से पंजीयन कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर प्रार्थीया के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का हक त्याग अपने नाम करवा लिया जबकि प्रार्थीया ने उप पंजीयक दूनी के यहां पर उपस्थित होकर यह कहा था कि मैं प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का ही हक त्याग अप्रार्थी नं. 1 के हक में कर रही हूँ, इसके बावजूद भी अप्रार्थी नं. 1 व अप्रार्थी नं. 12 ने आपस में सांठ–गांठ कर प्रार्थीया के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का हक त्याग अप्रार्थी नं. 1 के हक में कर दिया जो कि गलत है। दिनांक 29.05.2018 को प्रार्थीया अपने पीहर जाकर अप्रार्थी नं. 7 के यहां गई और अपने हिस्से की शेष भूमि हिस्सा 1/2 का हक त्याग करवाने के लिये कहा। प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 7 उप पंजीयक कार्यालय दूनी को यहां आकर मालूमात किया तो जानकारी मिली कि प्रार्थीया का सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी नं0 1 के हक में दिनांक 28.05.2018 को ही हक त्याग कर दिया है। प्रार्थीया के द्वारा उप पंजीयक दूनी को उक्त कारण की शिकायत करने के बावजूद भी उक्त गलती का सुधार नहीं किया। इस कारण अप्रार्थी नं. 1 व 11 को ता–फैसला मूलवाद तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी नं. 1 द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक प्रार्थीया के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि के करवाये गये हक त्याग के आधार पर अप्रार्थी नं. 11 के के हक में अपने नाम का

नामान्तकरण नहीं खुलवाये एवं अप्रार्थीगण नं. 11 को भी पाबंन्द फरमाया जावे कि वह दिनांक 28.05.11 को प्रार्थीया के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का अप्रार्थी नं. 1 के नाम गलत रूप से क्ये गये हक त्याग का राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण नहीं भरे व पाबन्द रहे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलक्ष्मण गुर्जर ने वकालतनामा व जवाब पेश किया । अप्रार्थी संख्या 7 ने जवाब में प्रार्थना पत्र के 1 से 7 चरणो को स्वीकार करते हुए विशेष आपतियों में बताया कि दिनांक 29.05.18 को प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 7 के यहां आई और कहा कि उसके हिस्से की भूमि में से हिस्सा 1/2 का हक त्याग अप्रार्थी सं. 7 के हक में करवाने के लिये प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 7 उप पंजीयक दूनी के यहां जाकर मालूमात किया तो जानकारी मिली कि प्रार्थीया के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का हक त्याग दिनांक 28.05.2018 को ही अप्रार्थी नं. 1 ने अपने हक में करवा लिया जबकि प्रार्थीया ने उप पंजीयक दूनी व पंजीयन लिपिक व अप्रार्थी नं. 1 को अपने हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का ही हक त्याग करवाने के लिये कहा था। प्रार्थीया ने अप्रार्थी नं. 7 के सामने तहसीलदार/ उप पंजीयक दूनी को न्यायालय आपके द्वार कैम्प चन्दवाड़ में उपस्थित होकर शिकायत की थी कि प्रार्थीया के सम्पूर्ण हिस्से का हक त्याग किया गया है वह गलत है। प्रार्थीया अप्रार्थी नं0 7 के पिता के जीवनकाल में ही अपने ससुराल ग्राम आमली देवल्या जाकर रहने लग गई थी। प्रार्थीया व अप्रार्थी नं0 7 के पिता ने अपने जीवनकाल में ही सम्पूर्ण आराजीयात का बंटवारा अप्रार्थी नं0 1 ता 6 के पिता/पति व अप्रार्थी नं 7 में बराबर 1/2 हिस्से में कर दिया था और मौके पर अप्रार्थी नं. 7 ने प्रार्थना पत्र के चरण नं. 2 में अंकित हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। इस प्रकार प्रार्थीया को बहला फुसलाकर अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थीया के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का हक त्याग प्रार्थीया की मर्जी के बिना एवं इच्छा के विरूद्ध करवाया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र के चरण नं. 2 में अंकित भूमि पर कब्जा काश्त भी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी नं. 1 ता 6 को ता–फैसला मुल वाद तक पाबन्द फरमाये जाने की कृपा करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व 8 की ओर से श्री रमेश चन्द शर्मा ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार चरण नं. 1 में वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना मात्र स्वीकार है शेष गलत है, अस्वीकार है प्रार्थीया के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति सिद्ध नहीं है बल्कि प्रतिपक्षीगण के पक्ष में प्रबल सिद्ध है। चरण नं. 2 स्वीकार है प्रतिपक्षी सं. 7 ता 9 का हिस्सा गलत अंकित है। चरण नं. 3 व 4 गलत है, अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा स्व. प्रकाश या प्रतिपक्षी सं. 7 के हक में कोई हकत्याग नही किया गया है बल्कि अप्रारर्थी सं. 9 द्वारा प्रतिपक्षी सं. 7 के हक में अपनी भमि का हक त्याग कर दिया गया हैं। चरण 5 में जवाब की आवश्यकता नहीं है। चरण 6 पूर्णतया गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीया स्वयं राजी खुशी, बिना किसी जबरन दवाब के उप पंजीयक कार्यालय दूनी उपस्थित हुई तथा स्वयं की इच्छा से अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का हक त्याग, प्रतिपक्षी सं. 1 द्वारा किसी प्रकार की कोई बेईमानी नही की गई। चरण नं. 7 पूर्णतया गलत है, अस्वीकार है। प्रतितपक्षी सं. 7 द्वारा प्रतिपक्षी सं. 9 की भूमि का हकत्याग अपने पक्ष में करवा लिया गया तथा प्रार्थीया के हिस्से की भूमि को भी अपने हक में त्याग करवाकर सम्पूर्ण भूमि को हड़पना चाहता था इस कारण प्रतिपक्षी सं. 7 द्वारा प्रार्थीया को बहला फुसलाकर यह वाद/प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। विशेष आपतियों में बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता तथा

प्रतिपक्षी सं. 6 के पति स्व. प्रकाश, प्रतिपक्षी सं. 7 , प्रतिपक्षी सं. 8 प्रतिपक्षी सं. 9 व प्रार्थीया आपस में सगे भाई बहन थ जिनका प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा था और उस हिस्से को प्रार्थीया व प्रतिपक्षीगण 1 ता 9 अपनी स्वयं की इच्छा से बिना किसी जबर दबाव कि किसी को भी रहन, दान, बेचान या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने का कानूनन पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थयी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। यदि प्रतिपक्षीगण को पाबन्द कर दिया गया तो प्रतिपक्षीगण को नकाबिले नुकसान होगा तथा अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि के 1/2 हिस्से को अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के हिस्से में तथा 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 7 के हिस्से में हक त्याग करना चाहती थी परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 12 से मिलकर प्रार्थीया के सम्पूर्ण भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हक त्याग करवा दिया जिसका नामान्तकरण अभी तक नहीं खुला है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि दिनांक 28.5.18 में किये गये हक त्याग की भूमि का नामान्तकरण अपने नाम नहीं खुलवावे तथा अप्रार्थी संख्या 11 प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये हक त्याग का नामान्तकरण नहीं खोले।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा अप्रार्थी संख्या 9 के हिस्से की भूमि को हक त्याग के माध्यम से अपने पक्ष में करवा लिया जो सही है तो प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया हकत्याग भी सही है जिसका उसको अधिकार प्राप्त है। अतः वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के हिस्से की भूमि को हड़पने के लिए किया गया है, जो खारिज योग्य है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रिलिज डीड दिनांक 28.5.18, शपथ पत्र दिनांक 28.06.18, जमाबन्दी संम्वत 2073–76 वाके ग्राम धुवांकला अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीया द्वारा अपने हिस्से की भूमि का किया गया हकत्याग कानूनसम्मत होने से प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है। अतः दिनांक 28.05.18 को किया गया हकत्याग पंजीयन कानून सम्मत होने से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति वाद के साथ पृष्ठ में संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 13.09.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली